न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19M-2610.

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या–**258/2018–19**, राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19M-2610

केस का प्रकार–बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा के पत्रांक 351/उत्पाद, दिनांक 02.03.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 32/2019 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19M-2610 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने सहकर्मी के सहयोग से दिनांक– 13.01.2019 को आरण (नहर पुल के पास) अभियुक्तों को मोटरसाईकिल Reg No- BH19M-2610 पर दो कार्टून में 750 ml के 24 बोतल अर्थात 18 ली० विदेशी शराब जप्त किया। अभियुक्तों को सुसंगत नियम के अधीन जेल हाजत भेजा। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त शराब के नमुना 750 ml का 02 बोतल अर्थात कुल मात्रा 1.5 ली० को उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को जांच कराने हेतु भेज दी गई है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि शेष बचे शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त अन्य सामग्रियों के अधिहरण हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19M-2610 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। वाहन मालिक अशोक कुमार पिता– सावित लाल यादव, साकिन– भेलवा वार्ड नं० 07, आरण, थाना व जिला– सहरसा दिनांक 24.07.2020 को इस वाद में उपस्थित हुए। उनका कहना है कि उनके मोटर साईकिल से शराब बरामद होने का आरोप बिल्कुल गलत एवं आधारहीन है। वास्तविकता यह है कि पुलिस द्वारा इनके	

6

वाहन चेकिंग करने पर कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस द्वारा वाहन मुक्त करने के नाम पर नाजायज रिश्वत की मांग की गई। नाजायज रिश्वत देने से विरोध करने पर पुलिस द्वारा मोटर साईकिल से गलत ढंग से शराब बरामद दिखाते हुए इन्हें झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया।

वाहन मालिक का आगे कहना है कि जप्त मोटरसाईकिल करीब डेढ़ वर्ष से थाना केम्पस में बाहर रखा हुआ है तथा धूप, वर्षा कुहासा में काफी खराब हो गया है। पुनः कहना है कि जप्त मोटर साईकिल को मुक्त कराने हेतु इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या 13313/2019 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 24.06.20 को आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में ही ये उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं।

वाहन मालिक के ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यो के साथ सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या 13313/2019 में पारित आदेश की वेब प्रति दाखिल कर जप्त मोटरसाईकिल को मुक्त करने हेतु आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि जप्त मोटरसाईकिल में अत्यधिक मात्रा में शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था। अतः वाहन को अधिहरण करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जप्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19M-2610 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरण किया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ...324........../न्याया०, सहरसा,   दिनांक ...31.......अगस्त, 2020।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31.8.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सहरसा।